UPGH180003172005

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1 सैदपुर, जिला–गाजीपुर
उपस्थितः–अश्वनी कुमार।। (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) JO CODE-UP 3673
फौ0मु0सं0–1077/2005

1–फिरतू चौहान पुत्र झगडू।
निवासी ग्राम नादेपुर थाना बहरियाबाद, गाजीपुर।

.....परिवादी।

बनाम

1–छेदी पुत्र खुददी चौहान।
2–मुराही देवी पत्नी छेदी।
3–नागेन्द्र पुत्र छेदी।
4–नगीना पुत्र छेदी।
5–रीता देवी पत्नी नागेन्द्र।
6–शिवपूजन पुत्र टूड़ी
7–दूधनाथ पुत्र घरपत्तर।
निवासीगण ग्राम नादेपुर थाना बहरियाबाद, गाजीपुर।

.....अभियुक्तगण।

धारा–147,323,504,506,379 भा0द0स0
थाना–बहरियाबाद, जिला गाजीपुर।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का नाम	श्री फौजदार यादव।
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का नाम	श्री लल्लन सिंह।

निर्णय

1– प्रस्तुत परिवाद, परिवादी फिरतू चौहान द्वारा अभियुक्तगण छेदी, मुराही, नागेन्द्र, नगीना, रीता, शिवपूजन एवं दूधनाथ के विरूद्ध विचारित किया गया है।

2– परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में संक्षेपतः अभिकथित है कि परिवादी के गांव के उपरोक्त अभियुक्तगण अत्यन्त ही सरकस गोलबन्द व गुण्डे किस्म के व्यक्ति है। उपरोक्त मुल्जिमान आवेदक के खेत में जबरदस्ती हैण्ड पम्प का पानी बहाते व कूड़ा करकट जबरदस्ती फेकते है। परिवादी इस बात का उपरोक्त मुल्जिमानों से उलाहना दिया कि दिनांक 02.08.2005 को समय करीब 11:00 बजे दिन में उपरोक्त अभियुक्तगण लाठी डण्डा से लैस होकर एक राए व गोल बनाकर परिवादी के दरबाजे पर चढ़ आये और आते ही गाली देते हुए आवेदक को मारने लगे। आवेदक के शोर पर गांव के लक्ष्मीशंकर, शिवपूजन आदि बहुत से लोग आ गये जो सारी घटना देखे तथा बीच बचाव किये। मुल्जिमान हाथ से कलाई घड़ी कीमत मु0–500/–रूपये चोरी की नियत से छीन लिये। उपरोक्त मुल्जिमान

Digitally signed by ASHWANI KUMAR
Date: 2026.07.13 16:35:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाते समय जान से मारने की धमकी भी दिये। परिवादी के शरीर पर आई चोटो का मुआयना सरकारी अस्पताल मिर्जापुर जिला गाजीपुर में हुआ। परिवादी द्वारा उपरोक्त घटना की सूचना संबंधित थाने पर दी गयी एवं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को दी गयी परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई सुनवाई न होने पर प्रस्तुत परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

3— परिवादी के परिवाद पर न्यायालय द्वारा की गयी जॉच में परिवादी के अंतर्गत धारा 200 द0प्र0स0 के बयान तथा अन्य साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 202 द0प्र0स0 के तहत दिये गये बयानों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण छेदी, मुराही, नागेन्द्र, नगीना, रीता, शिवपूजन एवं दूधनाथ को अंतर्गत धारा 147, 323, 504, 506, 379 भा0द0स0 के तहत विचारण हेतु आहूत किया गया। परिवादी द्वारा अभियुक्तगण पर परिवाद पत्र की प्रतिलिपि के साथ नियमानुसार पैरवी की गयी, जिस पर अभियुक्तगण हाजिर अदालत आए और अपनी–अपनी जमानतें करायी।

4— परिवादी की ओर से बयान अंतर्गत धारा 244 द0प्र0स0 के तहत स्वयं को पी0डब्लू–1 फिरतू एवं साक्षी पी0डब्लू0–2 नन्दलाल को परीक्षित कराया गया है। परिवादी की ओर से अन्य किसी साक्षी को आरोप पूर्व साक्ष्य के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है।

5— परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 244 द0प्र0सं0 के आधार पर अभियुक्तगण छेदी, मुराही, नागेन्द्र, नगीना, रीता, शिवपूजन एवं दूधनाथ के विरूद्ध दिनांक 16.06.2026 को आरोप अंतर्गत धारा 147, 323, 504, 506, 379 भा0द0स0 के अंतर्गत विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया और विचारण की मांग की गयी।

6— परिवादी की ओर से साक्षी पी0डब्लू0–1 फिरतू एवं पी0डब्लू0–2 नन्दलाल का साक्ष्य अंतर्गत धारा 246 द0प्र0स0 अंकित कराया गया। इसके उपरान्त परिवादी द्वारा अन्य किसी साक्षी को साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात परिवादी की ओर से कहा गया कि उसे कोई अन्य साक्ष्य नहीं देना है, तब अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0स0ं दिनांक 20.06.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना को झूठा होना, परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को गलत गवाही करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया गया तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

7— मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक

परिशीलन किया। परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 फिरतू एवं पी0डब्लू0–2 नन्दलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा अंतर्गत धारा 244 द0प्र0स0 में सशपथ परिवाद कथानक का समर्थन किया गया है।

8– परीवादी साक्षी पी0डब्लू0–1 फिरतू की मृत्यु हो जाने के कारण उसका साक्ष्य अंतर्गत धारा 246 द0प्र0स0 अंकित नहीं किया जा सका।

9– परिवादी साक्षी पी0डब्लू0–1 दुर्गावती द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा बयान अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 में बयान दिया है कि मै दुर्गावती फिरतू चौहान की पत्नी हूॅ। बरसात का महीना था दोपहर 11:00 बजे का समय था मेरे पति से और छेदी के परिवाद से कहा सुनी को लेकर शोर शराबा होने लगा जिसे सुनकर आस पास के लोग इकटठा हो गये। शोर पर दूधनाथ, शिवपूजन, नगीना, रीता बारी–बारी से आये। विवाद घर से बाहर था। भीड़भाड़ होने के कारण किसी से धक्का लग गया था फिरतू के हाथ से घड़ी कहीं गिर गयी जिसे मैने नहीं देखा। गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी व चोरी होने की घटना मैने न तो सुनी व न तो देखी थी। मै घटना स्थल पर मौजूद थी। बरसात होने के कारण मेरे पति फिसल कर गिर गये जिससे उनके बाये घुटने व शरीर में चोटे आयी। मेरे पति को छेड़ी मुराही, नगीना, नागेन्द्र, रीता, शिवपूजन तथा दूधनाथ ने मारा पीटा नहीं था और मुझे कुछ नहीं कहना है।

10– परिवादी साक्षी पी0डब्लू0–नन्दलाल द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा बयान अंतर्गत धारा 246 दं0प्र0सं0 में बयान दिया है कि मैं फिरतू का पड़ोसी हूॅ। मै बरवक्त घटना 11:00 बजे दिन में फिरतू के शोर पर पहुॅचा फिरतू एवं छेदी के बीच में पानी बहाने एवं कूड़ा फेंकने को लेकर कहा सुनी हो रही थी। उसी समय दूधनाथ, शिवपूजन, नगीना, मुराही, छेदी, रीता, नागेन्द्र बारी–बारी से घटना स्थल पर आये। इन लोगो ने फिरतू को हमारे सामने न ही मारे पीटे, न ही गाली गलौच न ही जान से मारने की धमकी एवं नही कोई चोरी किये थे। बरसात का मौसम था फिरतू का पैर फिसल कर गिर गये जिससे उनको कुछ चोटे आयी किसके धक्का से घड़ी कहॉ गिरी, मैं नहीं जानता हूॅ। अतः परिवादी द्वारा दिये गये उपरोक्त बयान से अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध सिद्ध नहीं होता है एवं अभियुक्तगण द्वारा कारित किया गया कृत्य संदेहास्पद एवं संशयपूर्ण है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने में परिवादी असफल रहा है।

11— इस प्रकार परिवादी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने में विफल रही है। अभियुक्तगण द्वारा कारित किया गया कृत्य संदेहास्पद एवं संशयपूर्ण है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

12— अभियुक्तगण छेदी, मुराही, नागेन्द्र, नगीना, रीता, शिवपूजन एवं दूधनाथ को फौ0मु0सं0—1077/2005, फिरतू बनाम छेदी आदि अंतर्गत धारा 147, 323, 504, 506, 379 भा0द0स0 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण धारा 437—ए द0प्र0स0 का अनुपालन अंदर सप्ताह करें।

दिनांकः—13.07.2026

(अश्वनी कुमार।।)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0—1 सैदपुर, गाजीपुर।
JO CODE-UP 3673

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः—13.07.2026

(अश्वनी कुमार।।)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0—1 सैदपुर, गाजीपुर।
JO CODE-UP 3673